


07.02.2024:-पत्रावली आज वादी अधिवक्ता के प्रार्थना पत्र पर पेशी में लिया गया। प्रार्थना पत्र शामिल पत्रावली किया गया। अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त प्रकरण में वादी कोई कार्यवाही नहीं चाहता। इस कारण वादी अपना वाद पत्र इसी स्तर पर खारिज करवाना चाहते हैं। वादी अधिवक्ता को उक्त प्रार्थना-पत्र पर सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त वादी का वादपत्र मौजूदा सूरत में खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरबीज तकमील दाखिल दफ्तर हो।



सहायक कलक्टर  
एवं उपखण्डाधिकारी  
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते  
Web Copy - Not Official